जी० गणेश

सचिव ।

अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–यू०ओ०30/44-1/87

उत्तर प्रदेश शासन ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 16 मई, 1987

प्रिय महोदय,

राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के गैर सरकारी अध्यक्षों/उपाध्यक्षों एवं गैर सरकारी निदेशकों को देय मानदेय भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में शासन के पार्श्वांकित आदेशों द्वारा व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में मुझे

1- शासनादेश संख्या 3451/ब्यूरो-79-80/78, दिनांक 10-10-79
2- शासनादेश संख्या 1174/चौ०-1-80-80/78, दिनांक 19-5-80
3- शासनादेश संख्या 1707/चौ०-1-1980-80/78, दिनांक 16-9-80
4- शासनादेश संख्या 46/चौ०-1-84-80/78, दिनांक 13-1-84
5- शासनादेश संख्या 105/चौ०-1-84-80/78/टी०सी०, दिनांक 27-2-84
6- शासनादेश संख्या 723/चौ०-1-80-78, दिनांक 29-3-85
7- शासनादेश संख्या 1625/चौ०-1/85, दिनांक 5-7-85

यह स्पष्ट करना है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के गैर सरकारी अध्यक्षों/उपाध्यक्षों तथा निदेशकों को उच्चस्तरीय गरिमामयी स्थिति प्राप्त है। यह लोग अपने कार्यक्षेत्र के अधीन समय–समय पर निदेशक मण्डल द्वारा सौपे गये कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं जिसमें निगम के किसी बिन्दु पर नीति निर्धारण करना या अन्य उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेना शामिल है। निगम के कार्यकलापों की जांच या इसी प्रकार के अन्य अधिकांश कार्य प्रबन्ध–निदेशक या उनके अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के गैर सरकारी अध्यक्षों/उपाध्यक्षों अथवा निदेशकों के द्वारा इस प्रकार के कार्य सम्पादन की अपेक्षा करना उनके उच्च स्तरीय पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार के कार्य केवल प्रबन्ध–निदेशक अथवा उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि अधिशासी कार्यों के सम्पादन में शिथिलता या इसी प्रकार के अन्य कोई मामला गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा निदेशक द्वारा बताया जाता है तो ऐसे मामलों में तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जानी चाहिए और निदेशक मण्डल तथा सम्बन्धित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक को भी इस सम्बन्ध में सही स्थिति की जानकारी दी जानी चाहिए। यहां पर यह स्पष्ट करना उचित होगा कि प्रबन्ध निदेशक तथा उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों को पर्याप्त अधिशासी शक्तियां प्रदत्त हैं। इसके बावजूद किसी प्रकार की शिथिलता सर्वथा अनुचित है। यदि इस प्रकार का कोई मामला गैर सरकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रकाश में लाया जाता है तो उसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जानी चाहिए।

2- अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशन का ध्यान रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इन आदेशों की प्राप्ति भी स्वीकार करें।

भवदीय,
(जी० गणेश)
सचिव।

(1) राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिव।

(2) राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

संख्या–यू०ओ०–30 (1)/चौवालिस–1/1987- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासकीय अनुभाग।
2- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
(जी० गणेश)
सचिव।